


आदेश

भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस-19 महामारी की रोकथाम के लिए सम्पूर्ण /समस्त भारत को दिनांक 14.04.2020 तक लाकडाउन किया गया है। उक्त लाकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवा अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जिला जीन्द में स्थित सभी सरकारी/सहकारी/निजि खाद, बीज व कीटनाशक विक्रेताओं को प्रत्येक सप्ताह सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक इन उत्पादों की बिक्री के लिए अनुमति प्रदान की जाती है।



30/3/20
उपायुक्त, जीन्द।

पृ० क्रमांक 528-38/एमए

दिनांक 30.03.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिरीक्षक-कम-प्रवर पुलिस अधीक्षक, जीन्द।
2. अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द।
3. उपमण्डल अधिकारी (ना), जीन्द, सफीदों, नरवाना, उचाना।
4. जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द।
5. उप-निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, जीन्द।
6. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, जीन्द।
7. निजि सहायक समीप उपायुक्त/नगराधीश, जीन्द।


30/3/20
उपायुक्त, जीन्द।

